



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 185 राँची, गुरुवार

5 चैत्र 1937 (श०)

26 मार्च, 2015 (ई०)

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

26 मार्च, 2015

एस.ओ.-78 दिनांक 26 मार्च, 2015—अंगीकृत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 1948 (बिहार अधिनियम XXXVI, 1948) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 70 दिनांक 17 जुलाई, 2004 में निम्नवत् संशोधन करते हैं :-

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना की कंडिका 1 में प्रयुक्त वाक्यांश "15 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2006 तक" के स्थान पर "15 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2011 तक अथवा नई औद्योगिक नीति के अपनाये जाने तक (जो भी पहले हो)" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

(बिक्री कर/3/5/2001खंड/1109अन्)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एम0 आर0 मीणा,

सचिव-सह-आयुक्त,

वाणिज्य-कर विभाग,

झारखण्ड, राँची ।
